



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 1 अक्टूबर, 2021

आश्विन 9, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1039/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (200)-2021
लखनऊ, 1 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

प0आ0-356

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-842/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (09)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, मद (iv) में, खण्ड (छ) में, अंक, अक्षर "12 कक" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "अथवा 12 कख" बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) क्रम संख्या 17 में,-

(क) स्तम्भ (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ख) स्तम्भ (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)
“(ii) बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार स्थायी या अस्थायी अन्तरण या उसके उपयोग या उपभोग को अनुज्ञात किया जाना	9	-”;

(ग) क्रम संख्या 26 के समक्ष, स्तम्भ (3) में,—

(क) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (iग) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)
“(iगक) मानव द्वारा उपभोग की जाने वाली एल्कोहलिक शराब के विनिर्माण से सम्बन्धित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं	9	-”;

(ख) मद (आईडी) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द “(i), (िक), (िख) और (िग)” के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द “(i), (िक), (िख) और (िग) और (िगक)” रख दिये जायेंगे;

(ग) मद (iv) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द “(i), (िक), (िख), (िग), (िघ), (ii), (iik) और (iii)” के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द “(i), (िक), (िख), (िग), (िगक), (िघ), (ii), (iik) और (iii)” रख दिये जायेंगे;

(घ) क्रम संख्या 27 के समक्ष,—

(क) स्तम्भ (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ख) स्तम्भ (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)
“अन्य विनिर्माण सम्बन्धी सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनः उत्पादन सम्बन्धी सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं	9	-”;

(ङ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, स्तम्भ (3), (4) और (5) में मद (iii) और (iiiक) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

(3)	(4)	(5)
“(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं; (क) थीम पार्क, वाटर पार्क और कोई अन्य स्थान जिसमें जॉय राइड्स, मेरी-गो-राउण्ड, गो कार्टिंग की सुविधा हो, या (ख) बैले,— नीचे (iiiक) में सम्मिलित किसी स्थान से भिन्न स्थान	9	-
(iiiक) निम्नलिखित में प्रवेश के रूप में सेवाएं— (क) कैसीनो या रेस क्लब या अन्य कोई स्थान जिसमें कैसीनो या रेस क्लब की सुविधा हो, या (ख) खेल समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग	14	-”;

(च) क्रम संख्या 38 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, स्पष्टीकरण में, अंक, शब्द और अक्षर "अनुसूची-I, क्र0सं0 234" के स्थान पर, अंक, अक्षर और शब्द "अनुसूची-II, क्र0सं0 201क" रख दिये जायेंगे;

(ii) 'अनुलग्नक सेवाओं के वर्गीकरण की स्कीम' में, क्रम संख्या 118 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
118क	समूह 99654		भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन
118ख		996541	भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन"।

2-यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1039 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order (200)-2021, dated October 1, 2021 :

No. 1039 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order (200)-2021

Dated Lucknow, October 1, 2021

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-842/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order (09)-2017, dated June 30, 2017, namely :-

In the said notification, -

(i) in the Table,-

(a) against serial number 3, in Column (3), in item (iv), in clause (g), after the figures and letters "12AA", word, figures and letters "or 12AB" shall be *inserted*;

(b) in serial number 17,-

(A) item (i) and the entries relating thereto in Columns (3), (4) and (5) shall be *omitted*;

(B) for item (ii) and the entries relating thereto in Columns (3), (4) and (5), the following entries shall be *substituted*, namely :-

(3)	(4)	(5)
"(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right	9	-";

(c) against serial number 26, in Column (3),-

(A) after item (ic) and the entries relating thereto in Columns (3), (4) and (5), the following entries shall be *inserted*, namely :-

(3)	(4)	(5)
"(ica) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption	9	-";

(B) in item (id), for the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib) and (ic)", the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic) and (ica)" shall be *substituted*;

(C) in item (iv), for the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic), (id), (ii), (iia), and (iii)", the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic), (ica), (id), (ii), (iia) and (iii)" shall be *substituted*;

(d) against serial number 27,—

(A) item (i) and the entries relating thereto in Columns (3), (4) and (5) shall be *omitted*;

(B) for item (ii) and the entries relating thereto in Columns (3), (4) and (5), the following entries shall be *substituted*, namely :—

(3)	(4)	(5)
"Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; material recovery services	9	-";

(e) against serial number 34, for items (iii) and (iiia) and the entries relating thereto in Columns (3), (4) and (5), following items and entries shall be *substituted*, namely :—

(3)	(4)	(5)
"(iii) Services by way of admission to; (a) theme parks, water parks and any other place having joy rides, marry-go-rounds, go carting, or (b) balle,— other than any place covered by (iiia) below	9	-
"(iiia) Services by way of admission to (a) casinos or race clubs or any place having casinos or race clubs or (b) sporting events like Indian Premier League.	14	-";

(f) against serial number 38, in Column (3), in Explanation, for the figures, words and letter "234 of Schedule-I", the figures, letter and words "201A of Schedule-II" shall be *substituted*;

(ii) in the "Annexure : Scheme of Classification of Services", after serial number 118 and the entries relating thereto, the following shall be *inserted*, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"118a	Group 99654		Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India
118b		996541	Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 380 राजपत्र-2021-(855)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 33 सा० राज्य कर-2021-(856)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।